Recommendations of the Business Advisory Committee

THE DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform you that the Business Advisory Committee at its meeting held on Thursday, the 18th May, 1995 allotted time for Government Legislative Business as follows:—

Business	Time Allotted
1. Consideration and return of the following Bill :—	
(a) The Appropriation (No. 2) Bill, 1995 as passed by the Lok Sabha.	
(b) The Finance Bill, 1995, after it is passed by the Lok Sabha .	3 Hours
—both the Bills to be discussed together.	
2. Consideration and passing of the following Bills :—	
(a) The Delhi Rent Bill, 1994	2 Hours
(b) The Wakf Bill, 1993	2 Hours
(c) The Criminal Law Amendment Bill, 1995.	3 Hours

The Committee recommended that the Patents (Amendment) Bill, 1995 would be taken up for consideration on Tuesday, the 30th May, 1995 and voting on that Bill would take place on Wednesday, the 31st May, 1995.

STATEMENT

REGARDING GOVT. BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MATANG SINH) Madam, with your permission, I rise to announce that the Government Business during the week commencing 22nd May, 1995 will consist of:—

1. Consideration and return of the following Bills as passed by Lok Sabha:

(a) The Appropriation (No. 2) Bill, 1995.

(b) The Finance Bill, 1995.

Consideration and passing of the Patents (Amendment) Bill, 1995, as passed by the Lok Sabha.

3. Consideration and passing of:-

(a) The Delhi Rent Bill, 1994

(b) The Wakf Bill, 1993.

(c) The Criminal Law (Amendment) Bill, 1995.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Prof. Vijay Kumar Malhotra.

RE. SUPREME COURTS JUDGEMENT REGARDING COMMON CIVIL CODE IN THE COUNTRY

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) उपसभापति महोदया, चार पीड़ित महिलाओं की याचिकाओं पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एतिहासिक जैडमाके हिस्टोरिक जजमेंट दिया है और उसका देश भर में बहुत स्वागत हुआ है। इस जजमेंट के दो भाग हैं। एक भाग तो यह है कि पहली पत्नी के जिन्दा रहते बिना उससे तलाक लिए यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म अख्तियार करले और दुसरा विवाह करले तो उस विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है और यह कहा है कि आई०पी०सी०—494 के तहत उसे दंडित किया जा सकता है, जिसकी सजा 7 वर्ष तक होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ का यह नाजायज फायदा उठाकर पिछले

कई सालों में हजारों नहीं लाखों लोगों ने दुसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म अख्त्यार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुत ही अनुचित और घिनौनी प्रवृति पर लगाम लगाई है। यह बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। इसका दूसरा भाग यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कंस्टीट्यूशन के आर्टिकल 44 को लागु करने के लिए देश में कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा। इसमें चार तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तो यह कहा जा रहा है कि क्या सरकार इसका सहारा ले सकती हैं कि आर्टिकल 44 बाईंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पर ?

It is not enforceable by law.

दूसरा यह कहा जा रहा है कि ज्यूडिशियल ट्रेसपास आन पार्लियामेंट्स ज्यूरिसडिक्शन। तीसरा यह कहा जा रहा है कि अभी समय नहीं आया है। टाइम आएगा तो इसको लागू किया जाएगा।

Article 44 of the Constitution reads: "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India."

जिस आर्टिकल 37 के बारे में कहा जा रहा है इसमें जरूर यह लिखा हुआ है कि

"The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court but the principles therein laid down are, nevertheless, fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

इसका अर्थ यह है कि आर्टिकल 43 स्ट्रिक्टली ऐनफोर्सेबल बाय ला न हो परंतु इस संबंध में कानून बनाना सरकार का कर्तव्य है और संविधान को यह पूरा करना है। मिस्टर जस्टिस मैथ्यू ने केशवानन्द भारती केस में यह बात कही थी।

"The moral rights embodied in Part IV of the Constitution are equally as essential a feature of the Indian Constitution as of Part III which deals with the fundamental rights, the only difference being that moral rights are not sufficiently emforceable against the State by a citizen in a court of law in case the State fails to implement this duty. But, nevertheless, they are fundamental in the governance of the country and all the organs of the State including the judiciary are bound to enforce these directives."

तो जस्टिस मैथ्यू के मुताबिक इस बात का सहारा नहीं लिया जा सकता कि कोर्ट इसको ऐनफोर्स नहीं कर सकता और इसलिए सरकार को इसमें कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त यह कहना कि न्यायालय ने पार्लियामेंट के काम में दखलंदाजी की है, मैं समझता हूं कि सब जानते हैं कि कानून बनाना इस पार्लियामेंट का काम है परंतु अगर पार्लियामेंट यह काम न करे, अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए कानून न बनाए, यदि वह वोट बैंक की राजनीति करती रहे और अपने फर्ज से चूक जाए तो क्या उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए ? सुप्रीम कोर्ट ने यही काम किया। जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा है—

"It appears, even 41 years thereafter, the rulers of the day are not in a mood to retrieve article 44 from the cold storage where it is lying since 1949."

चीफ जस्टिस चन्द्रचूड़ ने दस साल पहले एक जजमेंट में यह कहा था—

"It is also a matter of regret that article 44 of our Constitution has remained a dead letter."

1954 में जब हिन्दु कोड बिल पास हुआ तो नेहरू जी ने यह कहा था कि अभी तो यह 86 परसेंट पापुलेशन के लिए कानून बना है, बाकियों के लिए भी थोड़े

दिनों में एक कामन सिविल कोड बन जाएगा पर ये थोड़ दिन खत्म होने में नहीं आते। स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है।

शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया था परन्तु उसे ऐनल करने के लिए सोशल पोलिटिकल डिस्क्रीशन के नाम पर हमने एक मुस्लिम वीमेन ऐक्ट बना दिया जब तक हम महिलाओं के मानवाधिकारों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते रहें। जो लोग यह कहते है कि संविधान धार्मिक विश्वासों से ऊपर नहीं हो सकता और कामन सिविल कोड नहीं बनना चाहिए, उनको डा० अम्बेडकर ने जो कांस्टीट्यूएंट असेम्बली आफ इंडिया में जब बहस हुई तो उनके शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

"My friend Mr. Hussain Imam in rising to support the amendments asked whether it was possible and desirable to have a uniform code of law for a country so vast as this. Now I must confess that I was very much surprised at that statement for the simple reason that we have, in this country, a uniform code of law covering almost every aspect of human relationship. We have a uniform and complete criminal code operating throughout the country which is contained in the penal code and criminal procedure code. We have the law of transfer of property which deals with property relations and it is operated throughout the country. Then there is the Negotiable Instruments Act and I can cite innumerable enactments which would prove that this country has practically a civil code, uniform in its content and applicability in the whole of the country. The only problem the civil law is not able to invade so far is marriage and succession are concerned. It is this little corner which we have not been able to invade so far and it is the intention of those who desire to have article 35, now article 44, as part of the Constitution to bring about that change. Therefore, (Time bell)...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैं कहना चाहता हूं कि ...

उपसभापति: मल्होत्रा जी और भी हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सारी दुनिया में, सारे देशों में वहां के मुसलमान अगर कामन सिविल कोड के अंदर रह सकते हैं तो यहां क्यों नहीं रह सकते? हमें रिचुअल और राइट्स में फर्क करना चाहिए। हमारे रिचुअल गवर्न होते हैं हमारे धार्मिक विश्वासों से और हमारे राइट्स गवर्न होते हैं हमारे कांस्टिट्यूशन से। हिन्दू धर्म से रिचुअल गए थे। यहां पर सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, यह सब गलत थे और इनको हटा दिया गया। लेकिन जहां हमारे राइट्स का सवाल है वह कांस्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं। यह कहना कि जब तक मुसलमान तैयार नहीं हो जाते तब तक कामन सिविल कोड नहीं बनेगा, यह तो 11 प्रतिशत लोगों को वीटो पावर देना है, हिन्दुस्तान के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार को जारी रखना है। इसलिए किसी के हाथ में वीटो पावर देने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक कामन सिविल कोड बनाने की जरूरत

गवर्नमेंट को इसके न करने के लिए ऐसी बातों का सहारा नहीं लेना चाहिए।

उपसभापति : मल्होत्रा जी, कृपा करके दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए आज खत्म करना है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

यहां पर एक कामन सिविल कोड होना चाहिए। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हिन्दु सिविल कोड, मुस्लिम सिविल कोड और क्रिश्चियन सिविल कोड इन सब में जो भी महिलाओं के साथ अन्याय करने वाली चीजें हैं उन सब को निकाल देना चाहिए और जो महिलाओं के फंडामेंटल राइटस हैं उनके सक्सेशन के लिए एक कामन सिविल कोड बनाया जाए। क्वालिटी आफ ला और टु लिव विद डिगनिटी, इन दो बातों को ध्यान में रखकर जो कांस्टिट्यूशन मे गवर्न होती है, उसको बनाया जाए। वोट बैंक की राजनीति करते हुए अब इसको टाला न जाय। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बार कम से कम वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर यूनिफार्म सिविल कोड बनाए, जिसका डाइरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसको जल्दी से जल्दी लागू करे। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have some other names also... (*Interruptions*)... I do not have your name.

आप का नाम बाद में है।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: (Gujarat): I am telling you what has occurred. The Chairman has permitted me and he told the Secretary-General that Mr. Mehta would associate. It is not for Sardar Sarovar... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no, your name is there... (*Interruptions*)... Your name is there on this but it is much later.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I talked to him. He said, "Mr. Mehta will associate.'

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mehta, your name is there. You can associate yourself. But, before you four Members are there... (*Interruptions*)... Your name is there for Sardar Sarovar also. You can speak on that also. But, in the case of association, I have Mr. Janeshwar Misra's name first.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): We could vary the procedure for this particular occasion. He spoke in *extenso* and some of us would like to express our views, not necessarily by way of association. We have our divergent viewpoints. Why don't you go by parties?

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the House so agrees, I have no problem... (*Interruptions*)... Your name is first.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I suggested this for your consideration.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the Members agree. Jaipalji, I will give you enough time. Now, let Mr. Janeshwar Misra speak.

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : मैडम, सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमे को लेकर जो व्यवस्था दी है उससे एक अजीब संकट की स्थिति पैदा हो गई है। संविधान में दो तरह की धारायें हैं। एक नीति निदेशक तत्वों के धारा और दूसरी मूल अधिकारों की धारा। धारा 44 नीति निदेशक तत्वों की है। संविधान की धारायें 26 से लेकर 29–30 तक मूल अधिकारों की धाराओं में आती हैं। इनमें अल्पसंख्यों को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने और उसके मुताबिक जो बने हुए उनके कानून हैं, शरीयत हैं, उनका पालन करने की उनको पूर्ण स्वतंत्रता है। मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व का

जनेश्वर मिश्र

अतिक्रमण हो सकता है या नहीं ? यह सदन में जरूर गौर करना चाहिए। दूसरी बात जो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय.. **(व्यवधान)**

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Are you converting it into a discussion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, these are associations.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Association does not mean that it is a debate. Association means you agree or disagree.

मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी: (उत्तर प्रदेश) : यह बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर पूरा डिबेट होना चाहिए **(व्यवधान)**

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Don't justify. Are you associating in one sentence? Do not go on changing your view.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. (*Interruptions*) I will allow you, Mr. Jaipal Reddy.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: It it an association or a Special Mention at the moment? I do not know what is going on?

मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी : इस पर पूरा डिबेट होना चाहिए (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY It is an extension of Zero Hour.

श्री जनेश्वर मिश्र : महोदया, मैंने नाम दिया ही था अपनी भावनाओं को... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Everybody has a right to express.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I am not opposed to it.

उपसभापति : यह ध्यान रखें कि एक बजे से पहले खत्म करना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं कोई बात कह ही नहीं पा रहा हूं **(व्यवधान)**

उपसभापति : आप कहिये, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है।

Please sit down.
आप कृप्या बैठ जाइये।

श्री जनेश्वर मिश्र : महोदया, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे प्रधानमंत्री को एक अपील किया है कि वह संविधान में संशोधन कर के, मैं जानबूझ कर के अपने भाजपा के मित्रों में कहना चाहता हूं, वे लोग सुन नहीं रहे हैं, माथुर साहब आप सुनिये, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के प्रधानमंत्री से अपील किया है कि वे संविधान की धारा 44 के मुताबिक समान आचार संहिता लागू करने के लिए कानून बनाएं। यह प्रधानमंत्री कौन हुआ करते हैं कानून की भाषा में, विधान की भाषा में ? धारा 44 में स्टेट शब्द का इस्तेमाल है। स्टेट को प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको राष्ट्रपति रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको सेक्रेटेरियेट का कोई अधिकारी, केबीनेट सेक्रेटरी वगैरह रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रधान मंत्री कहां से आया ? प्रधानमंत्री संसद् का नेता हुआ करता है और उस नेता को सलाह देने या अपील करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा या नहीं ? वह अपने अधिकार का अतिक्रमण करेगा, इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह बहुत बुरा हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा है, जजमेंट जिसको प्रो० मल्होत्रा पढ़ रहे थे, मैंने भी उसको पढ़ा है, हम को लग रहा था कि*

*टू नेशंस, थ्री नेशंस... **(व्यवधान)**

उपसभापति : नहीं, नहीं, प्लीज़। मैं आपको एक बात बताऊं। हमारे हाऊस के अन्दर हमने यह नीति रखी है कि जहां

हम यह नही चाहते है कि सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करें, उनकी किसी जजमेंट पर या उनके किसी मामले में दखल दे, हम यह नहीं चाहते हैं कि वह हमारे किसी मामले में दखल दें। बस यही लकीर है। (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : मैडम, हमारी मदद करें। अगर सर्वोच्च न्यायालय के जज का जजमेंट पब्लिक डाकुमेंट हो गया और उससे समाज की व्यवस्था के बारे में कोई इधर-उधर के कानून बनने लगें या दिमाग बिगड़ने लगें तो क्या हम सदन में बहस नहीं कर सकते? पब्लिक डाकुमेंट इट इज।

उपसभापति : मगर आप जज के ऊपर कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : जज के ऊपर मैं कह ही नहीं रहा हूं। जजमेंट जो लिखा है, टू नेशंस, थ्री नेशंस की थ्योरी जिन लोगों ने... (**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : डा० अम्बेडकर भी क्या बी.जे.पी. के थे (**व्यवधान**)

उपसभापति : अभी आप बैठिए, बहस नहीं करिये (**व्यवधान**)

श्री जनेश्वर मिश्र : उन्होंने अपने उस जजमेंट में लिखा है कि हिन्दुस्तान में टू नेशंस, थ्री नेशंस थ्योरी चला करेगी। कौन कहता है कि हिन्दुस्तान में टू नेशंस, थ्री नेशंस थ्योरी चल रही है? इस तरह की कलम चलाने की अगर आजादी दे दी गई, तो उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, यह मैं कह रहा हू। वह अतिक्रमण अगर कोई भी करेगा, चाहे वह पार्लियामेंट का मेम्बर हो, चाहे ज्यूडिशियरी का मेम्बर हो या अफसरशाही का मेम्बर हो, इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सदन में इस पर बहस होगी.. (**व्यवधान**)

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

SHRI JAGMOHAN: I would request you. Kindly give a ruling on it. The question is whether any political aspersions can be cast on the judges giving....

श्री जनेश्वर मिश्र : मैडम...

SHRI JAGMOHAN: He said that* (*Interruptions*)

श्री जनेश्वर मिश्र : मैडम, मैंने यह नहीं कहा ... (*Interruptions*)

He said it. (*Interruptions*) How can he say that? (*Interruptions*)

श्री जनेश्वर मिश्र : मैडम मैंने यह नहीं कहा .....

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): He said: 'the judgment appears to be (*Interruptions*)

श्री जनेश्वर मिश्र : मैंने यह कहा ही नहीं। मैंने कहा कि जो जजमेंट पढ़ा हमको लगा कि *इसका कतई मतलब नहीं है कि उस जज के खिलाफ मैं क रहा हूं ... (**व्यवधान**)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: What is it? What does it mean? (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Anyway, I will look into the record.

श्री जनेश्वर मिश्र : हमने जज के खिलाफ कुछ नहीं कहा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :* तो बहुत अच्छी बात है।

उपसभापति : एक मिनट।

यहां अगर किसी को अपनी राय रखनी है तो हम एक पैरामीटर में रखते हैं। आपको अपनी राय रखने का अख्तियार है, दूसरों को भी अपनी राय रखने का अख्तियार है। मगर मैंने आपसे पहले कहा कि हम कभी किसी कोर्ट के

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभापति :

फैसले या किसी जज के बारे में या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो इस हाउस में आकर क्लारीफिकेशन नहीं दे सकता, नहीं बोलते हैं। आपकी जो राय है कि इस तरह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, वह कहिए। पर व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में कृपया नहीं कहिए। फिर भी मैं हाउस को एश्योर करती हूं। मैं रिकार्ड देखूंगी और जो भी हमारे नार्म्स होंगे तो it is up to me to see what I should do.

मगर कृपया आप थोड़ा ध्यान रखिए। खुद ही वैसा न बोलिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : तो उस जजमेंट में भारत के प्रधान मंत्री से अपील की गई है कि वे संविधान में सशोधन करें। भारत का प्रधान मंत्री संसद का नेता होता है। कल को मान लीजिए कि इस अपील के मुताबिक पार्लियामेंट में समान आचार संहिता के लिए हम लोग कोई वैधानिक प्रावधान कर दें, संविधान सशोधन कर दें और कोई एग्रीव्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करे तो सर्वोच्च न्यायालय की यह जो अपील है प्रधान मंत्री के नाम वह अपील करने में किसी एग्रीव्ड पार्टी को अल्पसंख्यक को या किसी को भी एक बाधा पहुंचाएगी कि जज ने यह अपील की है इसलिए आप अपील नहीं कर सकते हैं। इसलिए जुडीशियरी को संसद के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। प्रधान मंत्री से अपील नहीं करनी चाहिए। यह गलत काम हुआ है। यह मैं कहना चाहता हूं। यह अपील सरकार से कर सकते हैं, राज्य से कर सकते हैं। प्रधान मंत्री का नाम सीधे नहीं लेना चाहिए। कोई भी प्रधान मंत्री हो। कोई भी जज बैठेगा, कहीं भी कोई भी मुकदमा आएगा, इस तरह से सीधे अपील होने लगेंगी जुडीशियरी से तो वह एक खतरनाक परम्परा बन जाएगी। मैं इसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि हिंदुस्तान में समान आचार संहिता न बने। लेकिन हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के दिलों पर चक्की रगड़कर नहीं बन सकती है। अगर वे खुशी से चाहें, आपकी तरह अपने धर्म के रीति रिवाज मान लें या आप खुशी से चाहें कि उनके रीति रिवाज के मुताबिक अपने धर्म का परिवर्तन कर लें। एक तरह का रीति रिवाज हो जाए सबका फिर मेरे जैसे आदमी को बहुत खुशी होगी। लेकिन जोर जबर्दस्ती न की जाए क्योंकि उनकी तादाद कम है। संविधान में हमने मूल अधिकार में गारंटी दी है अगर तादाद कम हैं तो जोर जबर्दस्ती आपके रीति रिवाज और धर्म के जो कानून हैं उन पर कोई भी हम अपनी तरफ से दबाव नहीं डालेंगे। इस आश्वासन को जिस संविधान ने दिया है हमने उसकी कई बार कसम खाई है। उस संविधान के इस आश्वासन का, जो मूल अधिकारों में लिखा हुआ है, हमें पालन करना चाहिए।

मित्रों से मैं कहूंगा कि यह नारी का सवाल है। नारी हिंदुस्तान में और सब जगह सताई जाती है। ऐसा नहीं है कि हिंदु नारी नहीं सताई जाती है। जिस हिंदु कोड बिल की बात आप कर रहे हैं, पंडित नेहरू के जमाने की–पंडित नेहरू को मजबूर होकर इस पार्लियामेंट से वह हिंदु कोड बिल वापस लेना पड़ा था। वे ही मित्र जो समान आचार संहिता की बात कर रहे हैं वे हिंदुस्तान भर में आंदोलन चला रहे थे नेहरू साहब के उस हिंदु कोड बिल के खिलाफ जिसमें महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिया गया था। आज फिर वे ही लोग नेहरू साहब के हिंदु कोड बिल का हवाला देकर हिंदुस्तान की नारी को सताने के लिए जो कई प्रक्रियाएं हुआ करती हैं वे कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि नारी सताई जाएं। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी नहीं चाहता कि अल्पसंख्यक सताएं जाएं। दोनों की बारीकियों को समझते हुए कोई वैधानिक प्रक्रिया निकालनी चाहिए। इसमें जबर्दस्ती जुडीशियरी को नहीं फंसना चाहिए। उसे अपील नहीं करनी चाहिए। केस टू केस फैसला करे। उस पर मैं बहस

नहीं करता। लेकिन वे सीधे प्रधान मंत्री और पार्लियमेंट से अपील करने लगें, इस बात का अधिकार जुडीशियरी को नहीं दिया जाना चाहिए। यह कड़ी भाषा मैं बोल रहा हूं और जानबूझकर बोल रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर जल्दबाजी नहीं, एक पूरी बहस होनी चाहिए। इस सवाल पर एक खुल करके बहस होनी चाहिए। हम खुद बहस करना चाहते हैं और उस बहस में क्योंकि हम जानते हैं, मैडम, एक मिनट में मैं कह देना चाहता हूं। जो कुछ भी चरार-ए-शरीफ में हुआ है हिन्दुस्तान के जो अल्पसंख्यक उनके दिल में एक दहशत है। जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय से अपील आ रही है उनके दिल में दहशत हो रही है। दहशत पर दहशत, परत पर परत पड़ती चली जाएगी तो इस मुल्क को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह बात कहते हुए मैं अपने भा.ज.पा. के मित्रों से अपील करूंगा कि थोड़ा आग्रह नहीं जो लोग सताए गए हैं, उनको सहलाते हुए, मुलायम भाषा में, आंख दिखा करके नहीं, दबा करके इस देश को नहीं चलाया जा सकता है। अगर आंख दिखा करके चाहे वह अदालत हो, चाहे वह चरार-ए-शरीफ में बाहर से आने वाले दंगाई हों जो जला कर चले जाएं या जो कोई हो, दिलों को लगातार चोट लगती चली जाएगी तो आखिर में वह दिल टूट जाया करते हैं, और वह कौम टूट जाया करती है। मैं भा.ज.पा. के मित्रों से चाहूंगा कि वे कौम टूटने के लिए अपनी भाषा को थोड़ा कटु बनाने की बजाय मधुर बनाने का प्रयास करें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us not have an argument here, please.

सैयद सिब्ते रज़ी (उत्तर प्रदेश) : डिप्टी चेयरमैन साहिबा, बहुत दिनों से ऐसे मामलात वक्तन-फवक्तन उठाए जाते रहे हैं और आज फिर एक राजनीतिक हथियार जो अल्पसंख्यकों और अकलियतों के खिलाफ मुख्तलिफ मौकों पर इस्तेमाल होता रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेकर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है और फिर उसी तरह की बात की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे फाज़िल हमारे मुकर्रर ने जो अभी कहा कि सारी जो तकलीफें हैं या परेशानियां हैं वे मुस्लिम पर्सनल ला की वजह से देश के अन्दर है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यह बात गुमराह करने की है। बस एक-दो सवाल बार-बार उठते हैं कि चार शादियां और तलाक। मैं समझता हूं कि अगर उसके आस्पैक्ट में आप प्रैक्टिकल देखें, तो आज शायद ही कोई मुसलमान ऐसे होते हों, जो चार शादियों की बात करते हों, या उनकी चार बीवियां हों। आजकल के इस दौर में एक बीवी को तो संभालना मुश्किल हो रहा है। तो इस प्रकार की बात करके मैं समझता हूं कि उससे कटुता बढ़ती है। यह जो चार शादियों की बात बार-बार कही जाती है, यह कोई ऐसा नहीं है, पोलीगैमी की तो हमेशा इस्लाम ने मज़म्मत की है, हर मौके के ऊपर और यह तो एक उस दौर के अन्दर जब शादियों की कोई लिमिट नहीं थी, एक ऐसी लाइन खींच दी गई कि इसके आगे नहीं जाया जा सकता। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारत के मुसलमानों के अन्दर बहुत बड़ी तब्दीली आई है, सन् 1947 के बाद बहुत सारी चीजें जो आप कहते हैं कि बहुत फंडामेंटलिज्म की तरफ जाते हैं, उनमें भी बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। लेकिन दोष किसका है जो एक दिम से तब्दीली की तरफ यह पूरी कम्यूनटी जा रही होती है और वह रुक जाती है, इसका दोष किसकी तरफ है? मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, इसका दोष उन लोगों की तरफ है, जिन्होंने इसको एक मुद्दा बनाने की फिर कोशिश की है, इसका दोष उन लोगों की तरफ है, जो इस देश के अन्दर एक तरफ तो जो विश्वास पनपा है, लोकतन्त्र के अन्दर, संविधान के अन्दर, जुडिशियरी के अन्दर अकल्लियतों का खास तौर पर मुसलमानों एक वह वक्टतन-

[सैयद सिब्ते रजी]

बाक्फतन ऐसे हादसात पेश आ जाते हैं कि फिर जैसा जनेश्वर जी ने कहा, डर की भावना, अनिश्चितता की भावना और एक ऐसी भावना कि कहीं हम खत्म न हो जाएं, हमारा कल्चर न खत्म हो जाए, हमारी तहजीब न खत्म हो जाए। अब 6 दिसम्बर, 1992 का जो हादसा इस देश में हुआ है वह इस बात की तरफ फिर इशारा करता है कि इस मुल्क के अन्दर कुछ ऐसी ताकत काम कर रही हैं, जो दबाव डाल कर अपनी संख्या का गलत फायदा उठा कर इस माआशरे के अन्दर, इस सोसायटी के अन्दर जो भी तबदीली आनी चाहिये, उसको रोक देना चाहती है।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि अभी-अभी एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुख्य नेता हैं और जिनको हम समझते थे कि वह बड़े रिफार्मिस्ट नेता है और इस देश के अन्दर कुछ आशा भरी निगाहें भी उनकी तरफ जाती है कि वह प्रतिक्रियावादी जो एक पार्टी बनी हुई है, उससे कुछ अलग उनकी सोच है, लेकिन उन्होंने जिस तरह का आर्टिकल लिखा है, आपने "आर्गेनाइजर" में देखा होगा, मैं उसका तजकरा नहीं करना चाहता हूं।... (व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: I must say in all fairness to Vajpayeejee that he has denied it on the floor of the House and outside.

सैयद सिब्ते रजी : मैंने तो नाम लिया भी नहीं और अगर उन्होंने डिनाइड किया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं।

लेकिन यह आर्टिकल छपा है, वह छपा है "आर्गेनाइजर" में। वाजपेयी जी ने नहीं लिखा होगा, तो किसी और ने लिखा होगा।

उपसभापति : आप उसको छोड़ दीजिये।

श्री के० आर० मलकानी (दिल्ली) : वह आर्टिकल सही नहीं था। उसका कांट्रेडिक्शन उन्होंने किया था। अटल जी ने कहा था कि यह गलत लिखा है। तो वह लेख नहीं था, नहीं था।

सैयद सिब्ते रजी : लेख तो है आर्गेनाइजर में, लेकिन उनके नाम से नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वह उस जेहनियत की तरफ इशारा करता है, जिसमें कि तरह-तरह की बातें कही गयी हैं और अगर यह रिफार्म करना है, तो यह रिफार्म आना चाहिये उन लोगों के अन्दर से। इस तरह से दबाव डालकर कि ऐसा करना होगा, तो ऐसा करना होगा और हमारी जो एक राष्ट्रीय संस्कृति है, उसमें मिलना होगा। कौन कहता है कि मुसलमान राष्ट्रीय संस्कृति से अलग हैं? यह कहना कि कोई ऐसा मौका आएगा कि काबे में, इस्लाम में, और भारत में चुनना होगा तो मुसलमानों को भारत को ही चुनना होगा। अब सवाल यह है कि इस्लाम का, काबा-ए-शरीफ और भारत का कोई ऐसा पारस्परिक वह नहीं बनता है, जिसमें कि चुनाव करने की बात हो। चुनाव करने का सवाल ही क्या होता है? भारत हमारा वतन है, इस्लाम हमारा मजहब है और काबा हमारा किबला है, जिसकी तरफ कि सारी दुनिया के मुसलमान रोज 5 बार नमाज पढ़ते हैं। यह कि हमारा इस्लामिक फर्ज है, तरीका है और उसे कौन रोकना चाहता है? महोदय, हमें भारत के अन्दर जितनी मूर्ति पूजा होती है, इस आर्टिकल के अन्दर कहा गया कि हम दरियाओं की पूजा करते हैं, हम समुद्र की पूजा करते हैं, हम सूरज की पूजा करते हैं, हम चांद की पूजा करते हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम सांप की पूजा करते हैं और यहां रहने वाले मुसलमानों को इन आराधनाओं में से एक आराधना चुननी होगी। यदि यह जज्बा है, यदि यह सोचने का ढंग है तो मैं समझता हूं कि जो भी मुसलमान सोसायटी के अन्दर रिफार्म होने जा रहा है, वह नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह रिफार्म का मामला है अन्दर से आना चाहिये...

...(व्यवधान)... मैं जो भी कह रहा हूं, वह लिखा-पढ़ी में जो कुछ अखबारों में छपा है, वह कह रहा हूं। मैं उसे उद्धृत नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रवृत्ति को बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के अन्दर तब्दीली आये और अगर आप चाहते हैं कि बदलते हुए दौर के अन्दर मुसलमान भी पूरा कंट्रीब्यूशन इस देश के अन्दर करे, तो उस सोच को छोड़ना होगा। उपसभापति महोदया, अब पहले तो हमारे यहां लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थीं। आज से 50 साल पहले मेरी बहिन मैट्रीकुलेशन इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि एक समय के बाद पर्दे का सवाल आ गया और वह स्कूल नहीं जा सकी। लेकिन आज बदलाव आया है। मुसलमानों की हजारों नहीं लाखों लड़कियां यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं, पर्दे का जो तरीका था वह बदला है, लोग बाहर आ रहे हैं। तो आप उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं या उन्हें डराकर दूर भगा देना चाहते हैं।

उपसभापति महोदया, बम्बई में जो हुआ, बम्बई में जिस तरह से नारे दिए जा रहे हैं, बंबई में जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, मैं समझता हूं कि उन चीजों में तब्दीली लानी चाहिए। बम्बई में कहा जा रहा है कि यदि एक नेता के खिलाफ कोई कुछ कह देगा, तो उसके खिलाफ करने वाली पूरी कम्युनिटी का बम्बई में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में बायकाट कर दी जाएगी। इस तरह की बातों से रिफार्मिस्ट को धक्का पहुंचता है। महोदया, मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि 6 दिसम्बर, 1992 को जो वाकया हुआ, उससे हम जैसे लोगों को धक्का पहुंचा है और वह फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज जोकि इस्लाम के अन्दर काम कर रही हैं, उनका सिर उठा है और उन्हें बात करने का ज्यादा मौका मिला। हम जो एक रिफार्म लाना चाहते हैं हम जो एक प्रगतिशीलता की बात करते हैं उस को धक्का लगा है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि संविधान की रूह से जो कुछ भी है वह होना चाहिये, लेकिन तरीका सही अपनाया जाना चाहिये। ऐसा तरीका अपनाकर कि जहां तलवार लटक रही हो, सिर के ऊपर, किसी को अपनी संस्कृति के खत्म हो जाने का डर हो, किसी को अपने धर्म पर चलने का डर खड़ा हो जाए, तो ऐसी सूरत में कोई रिफार्म नहीं आ सकता। आप बातचीत कीजिए, पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से बातचीत कीजिए, उनको कनविंस करिए, एक चर्चा चलाइए, पूरे देश में बहस होनी चाहिये, एक लोकतांत्रिक और एक सभ्यता से भरा हुआ जिस मान्यता का यह देश है, उन मान्यताओं की प्रायोरिटीज के लिए लाइए।

उपसभापति महोदया, अब मैं यह कहना चाहूंगा कि आप यदि सिविल कोड लाना चाहते हैं, तो मुसलमानों और क्रिश्चियंस की बात क्यों करते हैं? आप एस०सी०/एस०टी० की बात कीजिए। आप हमारे शेड्यूल्ड कास्ट भाइयों की बात कीजिए। इस देश के अन्दर उनके अपने न जाने कितने पर्सनल कानून हैं। आप गांवों में, जंगलों में जाइए, वहां जाकर देखिए, कि उनके कितने पर्सनल कानून हैं? उनकी अपनी पंचायतें हैं, उन के अपने शादी-ब्याह के तरीके हैं, उन के अपने रीति-रिवाज हैं, उनकी अपनी रस्में हैं, उनकी अपनी आस्थाएं हैं। अब अगर आप सिविल कोड लाना चाहते हैं तो लाइए, कॉमन सिविल कोड, लेकिन पूरे देश के लिए लाइए, केवल मायनोरिटीज की बात मत कीजिए। इस जजमेंट के अन्दर भी यही कहा गया है कि क्रिश्चियन के लिए, मुसलमानों के लिए यह इस तरह का आना चाहिए, क्योंकि इधर इनके अन्दर कमजोरियां हैं। यदि आप को इस तरह का कोई लाना है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन यह जो पीसेस में संविधान का प्रयोग एक राजनैतिक हथियार की सूरत में होता है, अकलियत के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, एक खास धर्म के खिलाफ, एक खास जाति के खिलाफ तो निश्चित रूप में हम इसका विरोध करेंगे। शुक्रिया। ...(व्यवधान)...

†[سید سبط رضی (اتر پردیش): ڈپٹی چیرمین صاحب۔ بہت دنوں سے ایسے معاملات وقتاً فوقتاً اٹھائے جاتے رہے ہیں اور آج پھر ایک راج نیتک ہتھیار جو الپ سنکھیکوں اور اقلیتوں کے خلاف مختلف موقعوں پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو لیکر اس کی پنراورتی ہو رہی ہے اور پھر اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے۔ جیسے ہمارے فاضل مقرر نے جو ابھی کہا کہ ساری جو تکلیفیں ہیں یا پریشانیاں ہیں وہ مسلم پرسنل لاء کی وجہ سے دیش کے اندر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات گمراہ کرنے کی ہے بس ایک دو سوال بار بار اٹھتے ہیں کہ چار شادیاں اور طلاق۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسکے آسپیکٹ میں آپ پریکٹیکل روپ میں جا کر دیکھیں تو آج شاید ہی کوئی مسلمان ایسے ہوتے ہوں جو چار شادیوں کی بات کرتے ہوں یا انکی چار بیویاں ہوں۔ آج کل کے اس دور میں ایک بیوی کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس پر کیا کوئی بات کرے گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کٹھنا ہوتی ہے۔ یہ جو چار شادیوں کی بات بار بار کہی جاتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ یعنی کاہی کی تو ہمیشہ اسلام نے مذمت کی ہے ہر موقعے کے اوپر اور یہ تو ایک اس دور کے اندر جب شادیوں کی کوئی لمٹ نہیں تھی ایک ایسی لائن کھینچ دی گئی کہ اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے مسلمانوں کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ سن ۱۹۴۷ کے بعد۔ بہت ساری چیزیں جو آپ کہتے ہیں کہ بہت فنڈامینٹلزم کی طرف جاتے ہیں انمیں بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں لیکن دوش کس کا ہے جو ایکدم سے تبدیلی کی طرف یہ پوری کمیونٹی جا رہی ہوتی ہے اور وہ رک جاتی ہے۔ اس کا دوش کس کی طرف ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا اس کا دوش ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اس کو ایک مدعا بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ان لوگوں کی طرف ہے اسکا دوش جو اس دیش کے اندر ایک طرف تو جو وشواس پنپتا ہے لوک تنتر کے اندر۔ سنودھان کے اندر۔ جیوڈیشری کے اندر اقلیتوں کا خاص طور پر مسلمانوں کا وہ وقتاً فوقتاً ایسے حادثات پیش آجاتے ہیں کہ پھر

جیسا کہ جنیشور جی نے کہا - ڈر کی بھاونا - انسکیورٹی کی بھاونا اور ایک ایسی بھاونا کہ کہیں ہم ختم نہ ہو جائیں - ہمارا کلچر ختم نہ ہو جائے - ہماری تہذیب ختم نہ ہو جائے - اب ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کا جو حادثہ دیش میں ہوا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ ایسی طاقتیں کام کر رہی ہیں جو دباؤ ڈال کر اپنی سنکھیا کا غلط فائدہ اٹھا کر اس معاشرے کے اندر - اس سوسائٹی کے اندر جو بھی تبدیلی آنی چاہئے تھی اسکو روک دینا چاہتی ہیں -

میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا - ابھی ابھی ایک ہمارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے مکھیہ نیتا ہیں اور جنکو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بڑے ریفارمسٹ نیتا ہیں اور اس دیش کے اندر کچھ آشا بھری نگاہ بھی انکی طرف جاتی ہے کہ وہ پرمپراوادی جو ایک پارٹی بنی ہوئی ہے اس سے کچھ الگ انکی سوچ ہے - لیکن انھوں نے جسطرح کا آرٹیکل لکھا ہے - آپ نے "آرگنائزر" میں دیکھا ہوگا - میں اسکا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں ... "مداخلت" ...

SHRI S. JAIPAL REDDY: I must say in all fairness to Vajpayeejee that he has denied it on the floor of the House and outside.

†[سید سبط رضی: میں تو نام لیا بھی نہیں اور اگر انھوں نے ڈینائی کیا ہے تو میں اسکا سواگت کرتا ہوں - لیکن وہ آرٹیکل چھپا ہے "آرگنائزر" میں - باجپئی جی نے نہیں لکھا ہوگا تو کسی اور نے لکھا ہوگا -

اپ سبھاپتی: آپ اسکو چھوڑ دیجئے -

شری کے - آر - ملکانی: وہ آرٹیکل صحیح نہیں تھا - اسکا کنٹراڈکشن انھوں نے کیا تھا - اٹل جی نے کہا تھا کہ یہ غلط لکھا ہے تو وہ لیکھ نہیں تھا - نہیں تھا -

سید سبط رضی: لیکھ تو ہے آرگنائزر میں - لیکن انکے نام سے نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ذہنیت کی طرف اشارہ کرتا ہے - جسمیں کہ طرح طرح کی باتیں کہی گئی ہیں اور اگر یہ ریفارم کرنا ہے تو یہ ریفارم ہونا چاہئے ان لوگوں کے اندر سے - اسطرح سے دباؤ ڈالکر کہ ایسا کرنا چاہئے اور ایسا کرنا ہوگا - تو ایسا کرنا ہوگا اور

ہماری جو راشٹر یہ سیکولر تی ہے اسمیں
ملنا ہوگا - کون کہتا ہے کہ مسلمان آفسر یہ
سیکولر [illegible] ہے - یہ کہنا کہ کوئی
ایسا موقع آ رہا [illegible] میں - اسلام
میں - [illegible] جتنا ہوگا [illegible]
مسلمان [illegible] ہوگا
اب مہودیہ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] کیا ہو تا
ہے - بھارت [illegible] ہے - اسلام
ہمارا [illegible]
ہے - [illegible] دنیا کے مسلمان
[illegible] ہیں - یہ ایک
ہمارا اسلامک [illegible] ہے -
[illegible] ہے - مہودیے
اب بھارت کے اندر [illegible]
[illegible] کے اندر [illegible] ہے
[illegible] کی پوجا کرتے ہیں - ہم
[illegible] کی پوجا کرتے ہیں - ہم سورج
کی پوجا کرتے ہیں - ہم چاند کی پوجا کرتے
ہیں - ہم ورکشوں کی پوجا کرتے ہیں -
ہم سانپ کی پوجا کرتے ہیں اور یہاں
رہنے والے مسلمانوں کی ان آبادی [illegible]
میں سے ایک آدھا جنی ہوگی - لیکن

یہ جذبہ ہے - یدی یہ سوچنے کا ڈھنگ
ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان
سوسائٹی کے اندر ریفارم ہوتے
جا رہا ہے وہ نہیں ہو پائیگا - میرے کہنے
کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفارم کا معاملہ
اندر سے آنا چاہیے ... ہم دراصل ...
میں جو بھی کہہ رہا ہوں - وہ لکھا پڑھی
میں جو کچھ اخباروں میں چھپا ہے - وہ
کہہ رہا ہوں - میں اسے ادھرت نہیں کرنا
چاہتا ہوں کیونکہ میں بات کو بڑھانا
نہیں چاہتا ہوں - میں یہ کہنا چاہتا
ہوں کہ اس پرورتی کو بدلنا ہوگا -
اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلم سماج کے اندر
تبدیلی آئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ
بدلتے ہوئے دور کے اندر مسلمان بھی
پورا کنٹری بیوشن اس دور کے اندر کریں
تو اس سوچ کو چھوڑنا ہوگا - اپ سبھا پتی
مہودیہ - اب پہلے تو ہمارے یہاں لڑکیاں
پڑھنے نہیں جاتی تھیں - آج سے ۵۰ سال
پہلے میری بہن میٹرک کا ایگزامنیشن نہیں
کر سکی کیونکہ ایک سمے کے بعد پردے
کا سوال آ گیا - اور وہ اسکول نہیں جا
سکی لیکن آج بدلاؤ آیا ہے - مسلمانوں
کی ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیاں یونیورسٹی
میں جا رہی ہیں - پردے کا جو مہر یہ تھا وہ

بھی بند ہے لوگ [illegible] آپ [illegible] ہیں تو آپ
انھیں [illegible]
انھیں مجبور کر [illegible]
اپ سبھا پتی مہودیہ، کبھی میں
جو ہوا، کبھی [illegible] جیسے نعرے
دیے جا رہے ہیں۔ کبھی ہمیں [illegible]
ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میں
سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں تبدیلی
لانی چاہیے۔ [illegible] میں کہنا چاہتا ہوں کہ
ایک [illegible] اس
[illegible]

کو [illegible]
کو [illegible] ہونا چاہیے [illegible]
[illegible]
ہیں [illegible]
کرنے کا [illegible]
ریفارم لانا چاہتے ہیں [illegible] ایک پرگتی
شیلتا کی بات کرتے ہیں۔ اس کو دھکا
لگا ہے۔ اسلئے میں کہنا چاہوں گا کہ
سنودھان کی رو سے جو کچھ بھی ہے

وہ ہونا چاہیے۔ لیکن طریقہ صحیح اپنایا
جانا چاہیے۔ ایسا طریقہ اپنا کر کہ جہاں
تعداد [illegible] ہیں سر کے اوپر
کسی کو اپنی سنسکرتی ختم ہو جانے کا
ڈر ہو۔ کسی کو اپنے دھرم پر چلنے کا
ڈر لگنے لگ جائے۔ تو ایسی صورت
میں [illegible] نہیں ہو سکتا۔ آپ
بات چیت کیجیے۔ پرسنل لا بورڈ کے
لوگوں سے بات چیت کر بیٹھئے۔ ان کو
کنونس کر لیجیے۔ ایک چرچا چلانا
ہو، دیش میں بحث ہونا چاہیے [illegible]
[illegible]
لائیے۔

اپ سبھا پتی مہودیہ،
میں [illegible] کہ آپ [illegible]
[illegible]
اور [illegible] کی بات کیا کرتے
ہیں [illegible]
کی بات کیجیے۔ آپ [illegible]
کا [illegible] کی بات کیجیے۔ اس
دیش کے اندر ایسے نہ جانے کتنے
پرسنل قانون ہیں۔ آپ گاؤں میں،
جنگلوں میں جائیے۔ وہاں جا کر دیکھیے

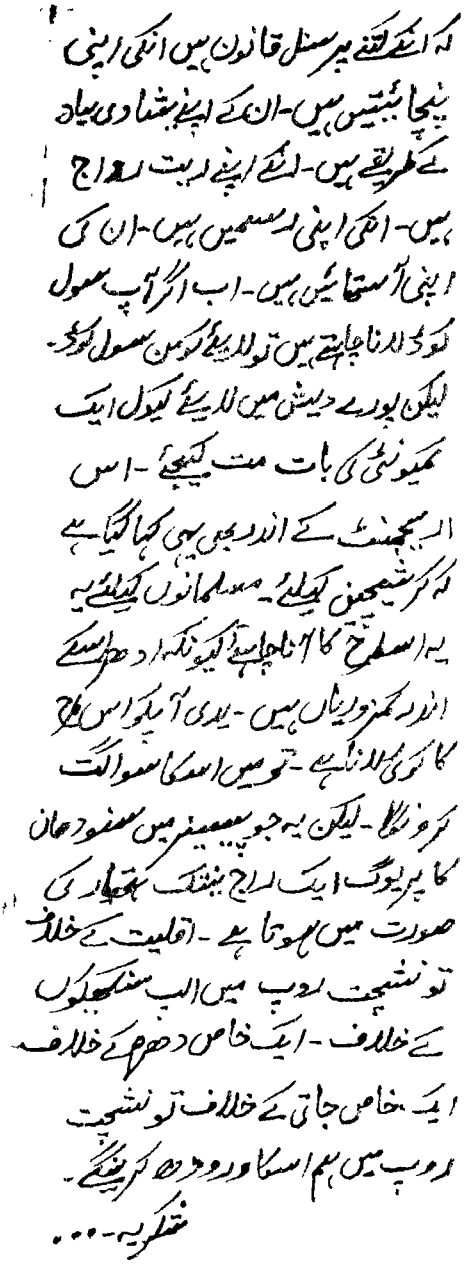

THE DEPUTY CHAIRMAN: Jaipalji... (*Inntenrruptions*)... I have some names of the Members on my paper. I will go accordingly... (*Interruptions*)... I haven't called you. ...(*Interruptions*)... Please sit down. Please sit down. Please, I haven't called you. I have identified Mr. Jaipal Reddy, please.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam Deputy Chairperson, at the outset, I applaud the judgment in respect of four cases, the court has disposed of. Four Hindus played a fraud on the law. I applaud the judgment. It is welcome. It was correct. But we must remember that this is not the only law on which we play fraud There is not a single piece of legislation on which fraud is not played. Therefore, we cannot make fraud the basis for a new piece of legislation.

Madam, I come to the other part of the judgment. I am not going into the merits or the other parts of the judgement at this stage. We have a parliamentary democracy. The modern democratic law has been founded on the basis of Montesque's theory of sepration of powers. Parliament has a certain province, has a certain sphere. The Executive has its own sphere. The Judiciary has its own sphere. So do many other bodies institutions like the Election Commission, UPSC, though they are quasi-judicial bodies. I do not know, Madam, whether courts can direct anybody in regard to law-making. Madam, courts can give judgment in respect of cases. Courts can also strike down a piece of law we make on the ground that it is not consistent with the provision of the Constitution, with the basic structure of the Constitution. The Supreme Court or High Courts have a negative right in so far as they can strike down a piece of law. But they can not direct anybody much less the Prime Minister of India to take initiative in the area of law-making. In my considered view—quite apart from the merits of the opinions expressed

by the Supreme Court on the issue—it amounts to a clear trespass upon the jurisdiction of Parliament. Where does the Prime Minister act? He has to come to Parliament and act. Can any High Court tell me, as a Member of Parliament, as to what I should do in Parliament? Can the Supreme Court tell the Prime Minister, as a Member of Parliament. as to what he should do?

Madam, I would like to make one general point. In our system, whoever is the Prime Minister, he is in a way the Chief Executive Officer. He is the kingpin. He is the pivot. When the person who holds that office, assumes a low profile, does not assert adequately... all other bodies try to expand their empire to fill up the vacuum caused by the withdrawal of the person who holds that office. I am really pained to make this comment. We have seen many bodies do this. The Election Commission has been expanding its jurisdiction.

In fact, I must refer to another and more important judgment of the Supreme Court. The Supreme Court, in a recent judgment, has said that judges shall be selected by the Judiciary only. The system is based on the balance of powers, based on checks and counter-checks. If the Judiciary is to select judges and the Executive is not to have a say, then it will lead to a lopsided development.

Madam, now I will come to the judgment. I am not one of those who advocate a common civil code subscribe to the philosophy of the B. J. P. No, it is not true. There are many genuine secularists who hold this opinion. (*Interruptions*). Okay, I am a pseudo-secularists, as you know. Therefore, I am referring to the other camp as genuine secularists. I am prepared to call myself a pseudo-secularist because the moment I consider myself a pseudo-secularist, peudo will become genuine. Words keep changing their meaning. You must remember that. When Shakespeare used the word 'gang', 'gang' had a positive connotation. Thanks to the activities of many people, now it has acquired a pejorative connotation. The word 'pseudo', with people like me, will soon become genuine and I would like to go down in history that way. Anyway, there are many genuine secularists who think that there should be a common civil code because we are one country. What is the vision? The vision is that there must be one law if there is to be one country.

Ours is a federal system. Let me draw your attention, Madam, to the United Kingdom which, often, is referred to and understood as a unitary system. The law of Scotland is totally different from the law of England. The law of Scotland got separated in 1707 and nobody has since had the courage to integrate the law of Scotland with the law of England. There is a far greater commonality between the law of India and the law of England than there is between the law of Scotland and that of England. If a common law is the basis for a common country, the UK should disintegrate. You must remember, Madam, there is a Minister exclusively to deal with Scotland at the Central level in England. Therefore, what is our vision of unity? It has something to do with our conception, even definition, of unity. I have no doubt whatsoever about the patrotism of Mr. Vijay Kumar Malhotra. I am prepared to concede that he is as patriotic as I am, if not more. But, his concetipon of unity is what I am unable to share. Unity in India is to be promoted and protected through plurality, through diversity, through variety. If you are trying to reduce

[Shri S. Jaipal Reddy]

unity to uniformity, I would like to tell my patiotic friend, Mr. Vijay Kumar Malhotra," you will end up destroying unity. You will throw out the baby with the bathwater."

Madam, there are Directive Principles. Mr. Vijay Kumar Malhotra himself has said that under Article 37, they are not at all enorceable. I would like to draw your attention to another aspect. Do you have only one Directive Principle in regard to a common civil code? There are so many other Directive Principles. Why does not anybody talk of them? How come no court talks of this? Courts also, in India or in the United States or in the world,..have their respective bias. Courts in the Western countries have their class bias. We have our own unconscious bias. To put in the sparkling phrase of Harold Laski, "a major inarticulate premise is our class bias". There are similar biases among functionaries in various bodies in our country.

Madam, let me draw your attention at some of the Directive Principles. One Directive Principle, which Dr. Ashok Mitra will be delighted to recall, for he knows, right to work right to education. Did you have a single judgment of the Supreme Court or any High Court on this right to work, right to education? Madam, article 43A.... ..

SHRI NILOTPAL BASU: Jaipalji, just one minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. Let us not have a debate on this. I am not allowing because I have very little time.

SHRI S. JAIPAL REDDY: For my friend, Mr. Basu, I would like to say that there is also directive principle on the participation of workers in the management of industries. Why did this Directive Principle lie in the cold storage for forty odd years. All Governments in India, including the Governments of my party, were never genuinely inspired by this principle. Therefore, this did not come into operation.

Madam, there is a Directive Principle relating to free and compulsory education for children. How many of our children have gone and uneducated in the last forty years and more? As for a common Civil Code, I am for it in principle. I am for it as an ideal. I am for a world Government as an ideal. Are you anywhere near it? If Netaji had raised the slogan "Jai Hind", Vinoba Bhave had raised the slogan of "Jai Jagat". What was the slogan of Vinoba Bhave? "Jai Jagat". Are you anywhere near it? Between the ideal and the reality, there is a gap and the statesmanship, the statecraft consists in accomplishing the transition smoothly. If you ask for American friends who are our professional advisers now, they will say. "MTV is good for India". I am not think one of those who that the MTV is good for us at all I am not one of those who think that the MTV is ood even for America. But the Americans are saying that it is not only good for them but also for us. Does Mr. Vijay Kumar Malhotra agree with them? No. Certainly he agrees with me. He doesn't agree with the Americans on the question of MTV. So, therefore, there are cultural norms. (*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Anhdra Pradesh): We have a uniform punishment code for the entire nation. Don't we? How is that applicable? The same cultural ethos and the courts will interfere with that also. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him conclude. (*Interruptions*) .... Let him conclude. I have so many names before me.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am prepared to clarify the doubts of my hon. colleague, Mrs. Renuka Chowdhury. Let me proceed with the point. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you do it briefly, please? (*Interruptions*)... Let him finish. (*Interruptions*)..

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam 50 per cent of the population is women and we are the victims, whatever is uniform and non-unifrom. (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: No no, Madam. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHARMAN: He had asked for time. Let him finish.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Fifty per cent of the population doesn't know what the Code it. (*Interruptions*)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इस पर महिला सदस्यों को भी बुलवाइए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इनको आप 20-20, 25-25 मिनट दे रही हैं, यह कोई बात है।

उपसभापति : माथुर साहब, प्लीज, बैठिए।

SHRI S. JAIPAL REDDY: You can, if you want. I am dissociating myself with it. I am not associating myself with it. I welcome a discussion. (*Interruptions*)... I welcome a discussion. (*Interruptions*)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जो इनीसिएट करता है, उसको आप काट देती हैं और जो एसोशिएट करते हैं, उनको बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस मिनट बोलने दिया जाता है।... (व्यवधान)..

उपसभापति : मैं उनके लिए भी घंटी बजाती हूं।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैडम, हम लोग मल्होत्रा जी को सुनते रहे। अब श्री जयपाल रेड्डी को क्यों रोक रहे हैं?

उपसभापति : आप बोलिए, मुझे क्या ऐतराज है।.... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ऐतराज होता नहीं, लेकिन जब आप घंटी बजाती हैं, तब ऐतराज होता है।

उपसभापति : मुझे बिलकुल ऐतराज है। ... (व्यवधान) ...**माथुर** साहब, आपको जयपाल रेड्डी जी की तकरार पर ऐतराज है। Don't tell me anything. Please sit down.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Madam.... (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. [illegible] is going on record.

जाइए... (व्यवधान)... आप बैठ जाइए ...आप [illegible] घंटी बजाऊंगी:

I am ringing the bell for you.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. You are taking more time of the House.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I would like to tell my friend, Shri Mathur. that one of them can join and discuss it again. (*Interruptions*).

*Not recorded.

मौलाना अबदुल्ला खान आजमी : मैडम सवाल यह है कि मल्होत्रा जी जब बोल रहे थे तो एक सेकेंड के लिए भी कोई कहीं से कुछ नहीं बोला । ... **(व्यवधान)** ...

उपसभापति : देखिए, हाऊस का टाइम कम है ।

Mr. Azmi, please sit down. I am trying to ask him to speak less.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Let there be a debate.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't mind if there is a debate. But let the Chairman give the time. If it is in the Zero Hour, what can I do?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I would like to share the concern of my sister Shrimati Renuka Chowdhury.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Reddy, now you wind up.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Mr. Reddy, we are all concerned about it.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, according to the 1991 Census, higher percentage of Hindus are guilty of bigamy than Muslims or Christians.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Even child marriages.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Therefore, the law cannot go beyond a point. Mere amendment of law is not going to help.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Reddy I have other names also.

SHRI S. JAIPAL REDDY: The Constitution deals with the rights of Sikhs. A Sikh can carry a *Kirpan*. Are you going to abolish it saying that there should be one law? The Janta Party manifesto of 1977, to wihch my friend, Prof. Vijay Kumar Malhotra was a party, said the personal laws of minorities shall be protected. I would like to make only one point. Law-making is best left to Parliamentarians and politicians. Even the corrupt politicians know the society more than others in our country.

उपसभापति : श्री चिमनभाई मेहता :

श्री चिमनभाई मेहता : शक्रिया । मैं इधर-उधर की बातें... **(व्यवधान)** ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: How can I stretch the time? I want to give 20 minutes to everybody. We can discuss it at 5 O'clock, if you like.

श्री चिमनभाई मेहता : मैडम, एक बजे के बाद तो मेरे ख्याल में.. **(व्यवधान)**.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have no problem. अच्छा आप अपनी बात कर लीजिए ।

श्री चिमनभाई मेहता : मेरे पास पांच मिनट रहे हैं और ये सब तो पंद्रह मिनट, बीस मिनट बोले हैं। मेरा संक्षेप में कहना है कि दुनिया के और मुस्लिम देशों में इन लॉज़ के बारे में काफी सुधार हुआ है और पाकिस्तान, और भी देश हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता, महिलाओं को समानता देने के लिए मस्लिम कंट्रीज़, में भी कोशिश की गई है और कुछ हद तक वहां सफलता मिलती रही है । ये सवाल म हिन्दू-मसलमान की नज़र से नहीं देखता । कुछ हद तक इंसानियत की नज़र से भी देखना चाहिए और महिलाएं इस देश की आधी संख्या में हैं। तो उसी नज़र से हम देखें और कभी-कभी उसी नज़र से नहीं देखते हैं, जब शाह बानो

केस में हमने नहीं देखा तो नतीजा आज क्या है, वह भी हमें सोचना चाहिए। परसों हमारे घर पर पंद्रह-बीस लोगों को हमने इकट्ठा किया था, जो मुसलमान साथी थे, लर्नेड भी आए थे। उनका कहना था कि बहुत काम्प्लेक्स मामला है उनकी कम्युनिटी के लिए। हमने फिर भी कहा कि सियासी बात मैं उनसे नहीं कहना चाहता। मैंने कहा कि अगर आप युनिफार्म कोड बिल की तरफ कदम नहीं उठाते तो जो ताकत आप नहीं चाहते इस देश में उभर आए, वह तो उभर आएगी। वह तो उभर आया है। शाह बानो केस का क्या नतीजा हुआ ? मैं किसी को धमकाना नहीं चाहता। मेरे दिल में माइनारिटीज के लिए इज्जत है। लेकिन बुनियादी वसूल तो कुछ होते हैं। रेणुका जी ने ठीक कहा है . . .

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : उस बुनियादी वसूल पर. . . **(व्यवधान)**.. अगर बुनियादी वसूल की बात है तो दफा 25 बुनियादी वसूल है. . **(व्यवधान)** . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't interrupt. Please sit down.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : दफा 27 बुनियादी वसूल है। माइनारिटीज के बुनियादी वसूलों के तहत जो तहफुज दिया गया है उस तहफुज की बात नहीं कर रहे हैं और जो मुसलमानों के लिए गैर-तहफुज कानून है उस कानून पर जोर दे रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही औरतों में खराबी नही है. . . **(व्यवधान)** . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you please sit down? Why are you taking it as a fight between the two communities? I am not allowing it?

श्री चिमन भाई मेहता : मैंने कहा कि मानवता का सवाल है।. . . **(व्यवधान)**. .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Azmi, please sit own.

श्री चिमन भाई मेहता : मैंने सिर्फ मानवता का सवाल रखा है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will explain. These four women were not Muslim women. They were deprived of their rights by four unscrupulous people. That is the subject.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : यह संकेत दिया जा रहा है कि मुसलमान औरतों पर जुल्म हो रहे हैं। सवाल यह है कि हिन्दुस्तान में मुकम्मल औरतों पर जुल्म हो रहे हैं।

श्रीमती रेणुका चौधरी : यह किसने कहा कि सिर्फ मुसलमान औरतों पर जुल्म हो रहे हैं ? . . . **(व्यवधान)**

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : मल्होत्रा जी की तकरीर देखिए । . . . **(व्यवधान)** . . .

उपसभापति : नहीं, नहीं, प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए।

श्रीमती रेणुका चौधरी : यह किसने कहा कि सिर्फ मुसलमान औरतों पर जुल्म हो रहे हैं। हम कह रहे है कि सारे हिन्दुस्तान की औरतों पर जुल्म हो रहे हैं। चाहे हिन्दु हो या मुसलमान।

श्री चिमनभाई मेहता : वही मैं भी कह रहा हूं।. . . (व्यवधान) . . .

THE DEPUTY CHAIAMAN: Please sit down... *(Interruptions)*. . .

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने तो यह कहा कि हिन्दुओं में बड़ी कुरीतियां थीं। सती प्रथा, बाल-विवाह, विधवा विवाह निषेध, ये कुरीतियां थीं। हमने इन सबको छोड़ा। जो आप कह रहे है मैंने उसमें उल्टी बात कही। ये कहते है मुसलमानों की औरतों पर जुल्म होते हैं ऐसा कहा। मैंने कहा कि हिन्दुओं में जुल्म होते थे और उन्होंने उनको छोड़ा।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : आपकी डिबेट में है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए, वोट बैंक के लिए यह नहीं करना चाहिए। मैं इस बात की सख्त एतराज करता हूं। . . (व्यवधान) . . सुनिए। मैडम, हम किसी की दान की बुनियाद पर नहीं रहते। हिन्दुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी और बलिदान की बुनियाद को हम अपने हक की बुनियाद रखते हैं। हम किसी की दान की बुनियाद पर नहीं हैं।

श्री चिमन भाई मेहता: मैंने नहीं कहा। आजमी साहब ने जो कुछ कहा है उसमे सहानुभूति रखता हूं। . . . (व्यवधान) . . . उनके साथ मैं सहानुभूति रखता हूं, इसीलिए मैंने पहले कहा कि इंसानियत और फिर मैंने सभी महिलाओं की बात कही और मैं जानता हूं कि जब सती प्रथा के मामले में राजस्थान में बात चल रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इनके एक बड़े नेता ने कहा कि सती प्रथा में क्या खराब चीज है। लेकिन उनकी पार्टी ने नहीं कहा। यह बात अलग-अलग है और हम अगर अलग अलग चीजों को अलग कर दें तो बात सही रास्ते पर आ सकती है। मैं जानता हूं कि जब हिन्दु कोड बिल लाने को पंडित नेहरू कोशिश कर रहे थे तो आज के जो कम्युनलिस्ट माने जाते हैं, वे नेहरू के खिलाफ थे . . . (व्यवधान) . . . हां ब्रह्मचारी लड़ा था एक चुनाव। इस तरह से रूढ़िग्रस्त फोर्स की बात और माडॅनाइजेशन फोर्स की बात, अब कोई ज्यादा रूढ़िग्रस्त हो कोई आगे बढ़ना चाहता हो तो इस हिसाब से देखें। मेरी तो सभी नेशनल पार्टियों से प्रार्थना है कि आप सिविल कोड का कोई कंटेंट तो बना दीजिए, क्योंकि 16 तारीख को प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी कहानी पेश करनी है। इस बारे में सरकार को डायरेक्शन दिया गया है। . . . (व्यवधान) करें या न करें बात जुदा है।

SHRI S. JAIPAL REDDY: The Prime Minister is not bound. It cannot be a direction. That direction is unenforceable.

श्री चिमन भाई मेहता : मैं कह कहां रहा हूं।

SHRI S. JAIPAL REDDY: You are saying that the Prime Minister is bound to respond. The Prime Minister is not bound to respond. Such a direction can be given to the Government in regard to executive wrongdoings and not in reard to law-making. No direction can be given to the office of Prime Minster.

श्री जनेश्वर मिश्र : सुप्रीम कोर्ट क्या यह कर सकता है, आप इस पर अपनी रूलिंग दीजिए।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: I had not interrupted him at any time though he spoke of several things. इतना तो समझना चाहिए कि हम उनकी गरिमा रखते हैं, उनका गौरव रखते हैं। मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही। प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है, मैं यह कह रहा हूं (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : चिमनभाई मेहता तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। हम उनकी इज्जत करते हैं।

श्री चिमनभाई मेहता : प्राइम मिनिस्टर जवाब दें या नहीं दें, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मैं हर पार्टी से यह प्रार्थना करता हूं कि यूनीफार्म कोड का कंटेंट आप क्या बनाते हैं, मेरिज के बारे में, सक्सेशन के बारे में, मैंटेनेंस के बारे में इस पर सब पार्टियों को अपनी राय बता देनी चाहिए। अगर यूनीफार्म कोड लागू हो (व्यवधान) कहां बताते हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं जब आप कह रहे हैं बाद में डिस्कस करें, नजदीक आना है तो सब अपनी अपनी राय तो रखें मेरिज के बारे में क्या है। मुस्लिम शरीयत अपना लीजिए, आपको कहने का अधिकार है, उसमें मुझे कोई हरकत नहीं है। You can say that. I am not going to follow that.

यह बात अलग है लेकिन किसी को भी कामन कोड लाने की बात है, कामन बिल बनाने की बात है, यूनीफार्म बिल बनाने की बात है तो आप कह दीजिए। If Shariat is the best and should Parliament decide so, it can be adopted.

यूनीफार्मिटी लाना कोई बुरा काम तो नहीं है न? यह बात कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनीफार्मिटी की बात कैसे कही। समानता की बात कह रहे हैं। आप बुनियादी बात ही चैलेंज कर रहे हैं। रेणुका जी की बात को मैं सही मानता हूं यूनीफार्मिटी क्रिमिनल ला में तो है तो यहां क्यों नहीं करते हैं? कम से कम हिन्दु महिलाओं पर कोई अत्याचार होता है, मुस्लिम महिलाओं पर, क्रिश्चियन महिलाओं पर, सब पर अत्याचार होता है, यह बन्द कैसे हो, वह भी यूनीफार्म कोड बिल में लगा दें (व्यवधान)।

श्रीमती कमला सिन्हा : महिलाओं पर अत्याचार होता है तो कोई धर्म देख कर नहीं होता। अत्याचार तो औरतों पर होता है (व्यवधान)

उपसभापति : यह बेचारी चारों महिलाएं तो हिन्दु महिलाएं थीं (व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी : हमें तो जला दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री चिमनभाई मेहता : सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारे लिए अब समय आ गया है कि यह यूनिफार्म कोड बिल बनाने के लिए, हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टाइम नहीं दिया है कि इतने दिनों में कर लीजिए।

It is high time that we moved in that direction to remove the injustice meted out to all women, particularly to certain sections of women.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I will adjourn the House for lunch. We will continue this at 5.00 p.m. I will keep all the names... (*Interruptions*)... If the House so agrees, I can sit after 5.00 p.m.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, our tradition has been to adjourn the House at 1.00 p.m... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am going by the order of the Chairman because I cannot, on a sensitive issue like this, use my discretion in any other way... (*Interruptions*)... I am not allowing. I am not making any exception. I adjourn the House for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thitry-six minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shrimati Kamla Sinha)** in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): We have some Bills for introduction.

THE STUDENTS (FREE TRAVEL IN PUBLIC TRANSPORT) BILL, 1995

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Madam, I beg to move for leave to itnroduce a Bill to provide for the facility of travellig free of cost in public buses and trains to students of schools and colleges for giong to their institutons and returning back to their residence and for appearing in various examinations and interviews in connections with entrance examination to different courses and employment and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Madam, I introduce the Bill.